

राजस्थान-सरकार

## आयालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठसीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पुणे


प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

-- आदेश :-

प्र0सं0 :- 946/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का सोमप्रसाद कापडा, भू अ0नि0 वृत्त पुणे की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा सोमप्रसाद तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बन्धित 2019 के खाता संख्या 225 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-


क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सोमप्रसाद कापडा	225	रतनलाल पुत्र मांगू कालबेलिया	रतनलाल पुत्र मांगू कालबेलिया

  
 सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(946)2021 दिनांक :- 01/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रतनलाल पुत्र मांगू कालबेलिया को सूचनार्थ।

  
 सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

